

9/6/25

वकील पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उप है।
वकील पत्रकार उप है। पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दिनांक

पा/पुलाम
उपस्थित
के

~~वकील मय वादी ने उपस्थित होकर विज्ञो
जां पत्र पेश किया गया जिस पर पत्रावली
तलाब की गई वकील पारी ने वादु
को इसी स्तर पर विज्ञो जां पत्र के
आधार पर खारिज किए जाने का निर्णय
किया। जिसपर पत्रावली का अन्त
मनन करने के परन्तान वादी को
वाद विज्ञो जां पत्र के आधार
पर खारिज किया जाता है पत्रावली
द्वय के से कमे हो कर दायित्व
हस्तांतर ही में धारिका उपरने भागवती
हुगा या गया~~

उपरपंड अधिकारी
साथ लेना

